



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09072022-237205
CG-DL-W-09072022-237205

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 9—जुलाई 15, 2022 (आषाढ़ 18, 1944)
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 9—JULY 15, 2022 (ASADHA 18, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	705	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	479	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2033	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	6353
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	105
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1667
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	705	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	479	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	2033	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6353
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	105
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1667
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून, 2022

संशोधन

सं. ई- 11015/1/2018-हिन्दी (350486)—उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 28 जून 2021 के समसंख्यक संकल्प में राज्य सभा के सदस्य शीर्ष की क्रम संख्या 5 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

के स्थान पर

श्री माजीद मेमन, संसद सदस्य (राज्य सभा)

पढ़ा जाए

डॉ. अमर पटनायक, संसद सदस्य (राज्य सभा)

सुबोध कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 जून 2022

संकल्प

सं. अ. 11015/1/2018-हिन्दी—भारत सरकार ने, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 08 सितम्बर, 2015 के संकल्प संख्या 11015/1/2015-हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन, कार्य और कार्यकाल आदि निम्न प्रकार होंगे:—

1. गठन		
1.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार)	अध्यक्ष
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रामदास आठवले)	उपाध्यक्ष
3.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्या मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी)	सदस्य
4.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक)	सदस्य

2. गैर-सरकारी सदस्य		
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य (4)		
5.	श्री सुरेश कुमार कश्यप, लोक सभा	सदस्य
6.	श्रीमती संध्या राय, लोक सभा	सदस्य
7.	श्री कैलाश सोनी, राज्य सभा	सदस्य
8.	श्री रामनाथ ठाकुर, राज्य सभा	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य (2)		
9.	श्री अशोक कुमार यादव, लोक सभा	सदस्य
10.	श्री एस. मुनिस्वामी, लोक सभा	सदस्य
मंत्रालय द्वारा नामित हिन्दी विद्वान (4)		
11.	श्री राजीव गुप्ता	सदस्य
12.	श्री बापुलाल परमार	सदस्य
13.	डॉ. कैलाश नारायण प्रजापति	सदस्य
14.	श्री संजय मिश्रा	सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि (1)		
15.	श्री श्याम सुन्दर कथूरिया	सदस्य
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा (1)		
16.	डॉ. सुशील चौधरी	सदस्य
गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा मनोनीत सदस्य (3)		
17.	डॉ विवेकानंद उपाध्याय	सदस्य
18.	डॉ विनोद कुमार एक्का	सदस्य
19.	डॉ राम किंकर पाण्डेय	सदस्य
सरकारी सदस्य		
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि		
20.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव (प्रशासन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	सदस्य-सचिव
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रतिनिधि		
22.	सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	सदस्य
23.	संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (हिन्दी प्रभारी)	सदस्य
राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि		
24.	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
25.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों/निगमों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों/न्यासों/आयोगों इत्यादि के प्रतिनिधि		
26.	सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
27.	सचिव, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
28.	सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
29.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	सदस्य

30.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	सदस्य
31.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	सदस्य
32.	निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
33.	निदेशक डॉ. अम्बोडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	सदस्य
34.	सदस्य सचिव, बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	सदस्य
35.	अध्यक्ष, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्का अंगघात, मानसिक मंदता बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	सदस्य
36.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद, हरियाणा	सदस्य
37.	निदेशक, पं. दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
38.	मुख्यक आयुक्त (निःशक्त व्यक्ति), नई दिल्ली	सदस्य
39.	निदेशक, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, बांद्रा (पश्चिम), मुम्बई	सदस्य
40.	निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश	सदस्य
41.	निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य
42.	निदेशक, राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांग संस्थान, बोन-हुगली, कोलकाता	सदस्य
43.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
44.	निदेशक, स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा	सदस्य
45.	निदेशक, राष्ट्रीय बहु-दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान (एनआईपीएमडी), चेन्नई	सदस्य
46.	अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
47.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	सदस्य

2. कार्य

इस समिति के प्रकार्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) और उसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित मामलों तथा इनसे संबंधित आनुषंगिक और प्रासंगिक मामलों पर सलाह देगी।

3. कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल साधारणतः इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि:

- लोक सभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्यों की सदस्यता उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगी।
- समिति के पदेन सदस्य उस समय तक बने रहेंगे जब तक वे इस पद पर कार्य कर रहे हैं, जिसके नाते वे इस समिति के सदस्य हैं।
- यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि से कोई रिक्ति होती है, तो इस रिक्ति, में नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि तक सदस्य रहेगा।

5. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा, किन्तु समिति अपनी बैठक आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से बाहर किसी स्थान पर भी कर सकती है।

6. टी.ए./डी.ए. तथा अन्य भत्ते

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/04/2005 रा.भा.(नीति-2) दिनांक 03 फरवरी, 2006 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिन्दी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अतः टी.ए./डी.ए. प्रावधान को निम्न रूप से अधिक स्पष्ट किया जाता है:—

(क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य/ (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/22034/04/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्या क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, वेतन एवं लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुरेन्द्र सिंह
अपर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2022

संकल्प

सं. 2022/ई एंड आर/7(12)/2—रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि “उन्नत अनुरक्षण प्रौद्योगिकी केंद्र”, ग्वालियर जो अब तक महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा था, अब कुशलता एवं अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-I में प्रकाशित किया जाए।

आर. एन. सिंह
सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 14th June 2022

AMENDMENT

No. E-11015/1/2018-Hindi (350486).—With regard to the reconstitution of Hindi Advisory Committee of Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, the amendment in the serial number 5 under the head Members of Rajya Sabha in the resolution of even number of this Department dated 28th June 2021, is made as follows:—

For

Shri Majeed Memon - Member of Parliament (Rajya Sabha)

Read

Dr. Amar Patnaik - Member of Parliament (Rajya Sabha)

SUBODH KUMAR SINGH
Joint Secretary

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT)

New Delhi-110001, the 8th June 2022

RESOLUTION

No. E.11015/1/2018-Hindi.—In supersession of the Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. 11015/1/2015-Hindi, dated 08 September, 2015 as amended from time to time, Government of India has decided to reconstitute Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice & Empowerment and Department of Empowerment of Persons with Disability). The composition, functions and tenure etc. of the Samiti shall be as follow:—

1. COMPOSITON		
1.	Minister of Social Justice and Empowerment (Dr. VIRENDRA KUMAR)	Chairperson
2.	Minister of State for Social Justice and Empowerment (SHRI RAMDAS ATHAWALE)	Dy. Chairperson
3.	Minister of State for Social Justice and Empowerment (SHRI A. NARAYANASWAMY)	Member
4.	Minister of State for Social Justice and Empowerment (Ms. PRATIMA BHOUMIK)	Member
2. Non-Official Member (Members nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs)		
5.	Shri Suresh Kumar Kashyap, Lok Sabha	Member
6.	Smt. Sandhya Ray, Lok Sabha	Member
7.	Shri Kailash Soni, Rajya Sabha	Member
8.	Shri Ramnath Thakur, Rajya Sabha	Member
Members nominated by the Committee of Parliament on Official Language		
9.	Shri Ashok Kumar Yadav, Lok Sabha Village and Post Bijuli, Police Station Sadar, Distt Darbhanga, Bihar	Member
10.	Shri S. Muniswamy, Lok Sabha 207, Western Court, Janpath, New Delhi-110001	Member

Hindi Scholars nominated by the Ministry		
11.	Shri Rajiv Gupta S-84/359, Karpoori Thakur, Janajeevan Camp, Shreenivaasapur, New Delhi-110065	Member
12.	Shri Bapulal Parmar 13/37 Bhargav Colony, Nagada Junction, Distt- Ujjain, Madhya Pradesh 335456	Member
13.	Dr. Kailash Narayan Prajapati Permanent Address- Ward-6, Baruanpura, Lahar, Distt- Bhind, Madhya Pradesh-477445	Member
14.	Shri Sanjay Mishra P.T. 62/20, D.D. Block Kalkaji, New Delhi-19 Permanent Address- 109A/5, Kamana, Vaishali, Ghaziabad-201010	Member
Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad		
15.	Shri Shyam Sundar Kathuriya, 101, B-16, Tihar, Tilak Nagar, New Delhi-110018	Member
Representative of Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha		
16.	Dr. Sushil Chaudhary, Rashtrabhasha, Laban, Shilong, Meghalaya-793004	Member
Members Nominated by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language)		
17.	Dr. Vivekanand Upadhyay, Hindi Department, Dr. HS Gaur University, Sagar, MP	Member
18.	Dr. Vinod Kumar Ekka, Sainik Colony, Dumardagga, Dipatoli, Ranchi, Jharkhand-835217	Member
19.	Dr. Ram Kinkar Pandey, Govt. Lahidi Collage, Chirmiri, Distt Koriya, Chhattisgarh	Member
Official Members		
Representative of Department of Social Justice & Empowerment		
20.	Secretary, Department of Social Justice & Empowerment	Member
21.	Joint Secretary (Administration), Department of Social Justice & Empowerment	Member Secretary
Representative of Department of Empowerment of Persons with Disability		
22.	Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disability	Member
23.	Joint Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disability	Member
Representative of Department of Official Language		
24.	Secretary, Department of Official Language, M/o Home Affairs	Member
25.	Joint Secretary, Department of Official Language, M/o Home Affairs	Member
Representatives from the Offices/Corporations/Institutes/Foundations/Trust/ Commissions etc. under the Deptt. of Social Justice & Empowerment and the Department of Empowerment of Persons with Disability		
26.	Secretary, National Commission for Scheduled Castes, New Delhi.	Member
27.	Secretary, National Commission for Safai Karamcharis, New Delhi.	Member
28.	Secretary, National Commission for Backward Classes, New Delhi.	Member
29.	Managing Director, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, New Delhi.	Member
30.	Managing Director, National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation, New Delhi.	Member
31.	Managing Director, National Backward Classes Finance and Development Corporation, New Delhi.	Member

32.	Director, National Institute of Social Defence, New Delhi.	Member
33.	Director, Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi.	Member
34.	Member Secretary, Babu Jagjivan Ram National Foundation, New Delhi.	Member
35.	Chairman, National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy Mental Retardation and Multiple Disabilities, New Delhi.	Member
36.	Managing Director, National Handicapped Finance and Development Corporation, Faridabad, Haryana.	Member
37.	Director, Pt. Deendayal Uppadhyay Institute of Physically Handicapped, New Delhi.	Member
38.	Chief Commissioner for persons with Disabilities, New Delhi.	Member
39.	Director, Ali Yavar Jung, National Institute for the Hearing handicapped, Bandra (W), Mumbai.	Member
40.	Director, National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad, Andhra Pradesh.	Member
41.	Director, National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun, Uttarakhand	Member
42.	Director, National Institute for Orthopaedically handicapped, Bon Hooghly, Kolkata.	Member
43.	Chief Managing Director, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), Kanpur, UP	Member
44.	Director, Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research (SVNIRTAR), Cuttak, Odisha.	Member
45.	Director, National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities (NIEPMD)	Member
46.	Chairman, Rehabilitation Council of India, New Delhi.	Member
47.	Chairperson, National Trust, New Delhi.	Member

3. FUNCTIONS:

The functions of this Samiti will be to advise the Ministry of Social Justice & Empowerment (Department of Social Justice & Empowerment and Department of Empowerment of Persons with Disability) for effective implementation of Official Language in its working and matters related thereto.

4. TENURE:

The tenure of the members of the Committee will normally be three years from the date of its reconstitution, provided that:

- i. Members nominated from Lok Sabha and Rajya Sabha shall cease to be the members of the Samiti as soon as soon as they cease to be the Members of Parliament.
- ii. The ex-officio members of the Committee shall continue so long as they hold office by virtue of which they are members of the Committee; and
- iii. If a vacancy arises in the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that vacancy will hold office for the residual term of the Committee.

5. GENERAL:

The Headquarters of the Committee shall be at New Delhi, but Samiti can hold its meetings in any other place other than Delhi, if necessary.

5. T.A/D.A. & Other Allowences

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide their Office Memorandum II/20034/04/2005-O.L. (Policy-2), dated 03 February, 2006 has stated that as the 15 non-official members

include 6 Members of Parliament, nominated in the Hindi Salahakar Samitis constituted by Central Ministries/Departments, so the provision regarding traveling/daily allowance is made more elaborate in the following manner:-

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954", amendments issued from time to time and rules made thereunder.

(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No. II/22034/04/86-OL(A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of Government of India, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Committee of Parliament on Official languages, Ministry of Parliament Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Ayog, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenue, Pay & Accounts Officer, Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice & Empowerment and Department of Empowerment of Persons with Disability).

Ordered also that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SURENDRA SINGH
Additional Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 20th June 2022

RESOLUTION

No. 2022/E&R/7(12)/2—Ministry of Railways have decided that "Centre for Advanced Maintenance Technology" at Gwalior, which was hitherto functioning under the administrative control of Director General, Research Designs & Standards Organisation, Lucknow should now report to Railway Board through Efficiency & Research Directorate.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in Part-I, Section-I in the Gazette of India for general information.

R.N. SINGH
Secretary